रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 274] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 30, 1996/भाद्र 8, 1918
No. 274] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 30, 1996/BHADRA 8, 1918

कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1996

सा.का.नि. 384 (अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का 27) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग (लेखा का वार्षिक विवरणी और वार्षिक रिपोर्ट) नियम, 1996 है ।

 (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं :**—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

 (क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का 27) अभिप्रेत है ।

 (ख) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है ।

 (ग) "सदस्य सचिव" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य सचिव अभिप्रेत है,

 (घ) "लेखा परीक्षा अधिकारी" से भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक या आयोग के लेखा की परीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ।

 (ङ) "वित्तीय वर्ष" से 1 अप्रैल को प्रारम्भ होकर उसके पश्चात् 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष अभिप्रेत है,

 (च) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है ।

 (छ) उक्त शब्दों और पदों के जिन्हें इन नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में दिए गए हैं ।

3. **आयोग का लेखा :**—

 (1) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए आयोग की लेखा विवरणी सदस्य सचिव या आयोग के ऐसे अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी जिसे इस निमित्त सदस्य सचिव द्वारा प्राधिकृत किया गया है ।

 (2) आयोग द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित लेखा की वार्षिक विवरणी केन्द्रीय सरकार को सदस्य सचिव द्वारा उस तारीख तक प्रस्तुत की जाएगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(3) आयोग, केन्द्रीय सरकार को उपगत व्यय और वित्तीय वर्ष के शेष भाग में संभावित उपगत व्यय की पाक्षिक पुनरीक्षण प्रगति केन्द्रीय सरकार द्वारा जब भी मांगी जाए अग्रेषित करेगा ।

(4) आयोग यह प्रमाणित करते हुए कि अनुदान का उपयोग निबंधनों और शर्तों के अनुसार किया गया है, वार्षिक उपयोगिता प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करेगा ।

(5) सदस्य-सचिव आयोग के लेखा रखे जाने का वित्तीय विवरण का मिलान और विवरणी का पर्यवेक्षण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी लेखा बही संबंधित वाउचर और अन्य दस्तावेज एवं कागजात जो आयोग के लेखा की परीक्षा के प्रयोजन के लिए लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित है उस अधिकारी के निपटान के लिए प्रस्तुत कर दिए गए हैं ।

(6) आयोग का लेखा जिसमें आरम्भिक लेखा भी है इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप "क" में इसके गठन की तारीख से रखा जाएगा ।

(7) अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट लेखा की वार्षिक विवरणी सदस्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित और अधिप्रमाणित की जाएगी ।

(8) लेखा की वार्षिक विवरणी जिस वर्ष से लेखा संबंधित है उस वर्ष के पश्चात् के 30 जून से पूर्व लेखा परीक्षा अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी और लेखा परीक्षा अधिकारी आयोग के लेखा की लेखा परीक्षा करेगा और उस पर रिपोर्ट करेगा ।

(9) लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति पर, आयोग रिपोर्ट में बताई गई किसी त्रुटि या अनियमितता का तीन मास के भीतर निदान करेगा और उस पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार तथा लेखा परीक्षा अधिकारी को देगा ।

4. **आयोग की वार्षिक रिपोर्ट :—**

(1) सदस्य सचिव या सदस्य सचिव द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत आयोग को कोई अन्य अधिकारी, अधिनियम की धारा 14 में निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट उस वित्तीय वर्ष के, जिससे यह संबंधित है पश्चात् 31 जुलाई को या उससे पूर्व इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप "ख" में तैयार करेगा ।

(2) उस नियम (1) में निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट आयोग के अनुमोदन के लिए रखी जाएगी ।

(3) उप नियम (1) में निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट आयोग द्वारा अनुमोदन के पश्चात् सदस्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित एवं अधिप्रमाणित की जाएगी ।

(4) अधिप्रमाणित रिपोर्ट की प्रतियां सदस्य सचिव या इस निमित्त सदस्य सचिव द्वारा प्राधिकृत ऐसे अधिकारी द्वारा केन्द्रीय सरकार को उस वर्ष से, जिससे रिपोर्ट संबंधित है के पश्चात् 31 अगस्त तक अधिनियम की धारा 15 के अधीन अपेक्षित कार्रवाई करने में केन्द्रीय सरकार को समर्थ करने के लिए प्रस्तुत की जाएगी ।

प्ररूप-अ

आयोग का लेखा

[नियम 3 (ख) देखिए]

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग की प्राप्ति और संदाय लेखे ।

प्राप्तियां	योजना	गैर योजना	कुल रकम	संदाय	योजना	गैर योजना	कुल रकम
1. **आरम्भिक अतिशेष**				**आवर्ती व्यय**			
हाथ में नकदी				1. (क) स्थापना प्रभार			
बैंक में नकदी				1. वेतन (अध्यक्ष और आयोग के सदस्य)			
2. **कल्याण मंत्रालय से सहायता अनुदान**				2. वेतन (अधिकारी और स्थापना)			
आवर्ती				3. वृत्तिक और विशेष सेवाओं के लिए संदाय और			
गैर आवर्ती				4. यात्रा व्यय			
3. **आयोग द्वारा प्राप्त राजस्व**							
योजना आवर्ती							
(क) विनिधान							
1. अंकित मूल्य या भुनाया गया विनिधान							
2. विनिधान पर ब्याज							
3. बैंक खातों पर ब्याज और कुल अवधि निक्षेप							

प्राप्तियां	योजना	गैर योजना	कुल रकम	संदाय	योजना	गैर योजना	कुल रकम
बी/एफ				बी/एफ			
ख. राजस्व				**ख. अन्य स्थापन प्रभार**			
प्राप्तियां				(1) मजदूरी			
1. प्रकीर्ण प्राप्तियां				(2) कार्यालय व्यय			
2. फीस यदि कोई हो, आयोग द्वारा प्रभारित				(3) किराया दरें और कर			
				(4) प्रकाशन			
3. प्रकाशनों का विक्रय				(5) विज्ञापन और प्रचार			
4. कर्मचारियों को अग्रिम के लिए ब्याज की प्राप्तियां				(6) आतिथ्य व्यय			
				(7) मरम्मत और अनुरक्षण			
ग. ऋण /निक्षेप प्राप्तियां				(8) फर्नीचर और फिक्सचर			
(i) कर्मचारिवृन्द को अग्रिमों की वसूली				(9) मशीनरी और उपस्कर			
				(10) मोटरयान			
गृह निर्माण अग्रिम				(11) यानों का अनुरक्षण			
मोटर कार अग्रिम				(12) पेट्रोल, तेल और स्नेहक			
मोटर कार/स्कूटर अग्रिम				(13) सभाएं और सेमिनार			
अन्य अग्रिम				(14) टेलीफोन प्रभार			
(ii) आकस्मिक अग्रिमों की वसूली				(15) अन्य प्रभार			
के.लो.नि.वि. को अग्रिम डी. जी. एस.एण्ड डी. को अग्रिम प्रदाय-कर्ताओं को अग्रिम अन्य अग्रिम				(16) मुकदमा			
				(17) लेखा परीक्षा फीस			
1. अन्य निक्षेप				**(ग) भविष्य निधि और अन्य अंशदान**			
प्रतिभूति निक्षेप				1. पेंशन और उपदान (जिसमें पेंशन और एल.एस.पी.सी. का संराशी-करण सम्मिलित है)			
अग्रिम धन							
निक्षेप				2. बीमा स्कीम से सम्बद्ध निक्षेप			
प्रेषण प्रतियां				3. सा.भ.नि. पर ब्याज			
जी.पी.एफ./सी.पी.एफ. इत्यादि				4. सा.भ.नि. अग्रिम/अंतिम संदाय			
प्रतिनियुक्ति धारियों से वसूली				5. सी.जी.ई.एस.आई.एस./सी.जी. ई.आई. एस./			
अनुज्ञप्ति फीस							
आय-कर				**(घ) अन्य संगठनों को सहायता अनुदान**			
केंद्रीय सरकार							
स्वास्थ्य स्कीम							
डाक जीवन बीमा,				मुकदमों और विशेष अध्ययनों में व्यय			
केन्द्रीय सरकार							
कर्मचारी समूह				प्रोन्नति कारक और शैक्षिक अनुसंधान			
बीमा स्कीम							
गैर आवर्ती				**5. विनिधान**			
				विनिधान (अनुसूची में दर्शित होने वाले ब्यौरे)			
				(च) आकस्मिक अग्रिम			
				केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को अग्रिम			
				डी.जी.एफ. और डी. को अग्रिम			
				संदायकर्ता को अग्रिम			
				अन्य अग्रिम			

प्राप्तियां	योजना	गैर योजना	कुल रकम	संदाय	योजना	गैर योजना	कुल रकम
बी/एफ				बी/एफ			
				(छ) कर्मचारिवृन्द को अग्रिम			
				गृह निर्माण अग्रिम			
				2. मोटर कार अग्रिम			
				3. मोटर कार/स्कूटर अग्रिम			
				4. अन्य अग्रिम			
				(ज) अन्य समायोजन			
				(प्रेषण)			
				1. जी.पी.एफ./सी.पी.एफ. इत्यादि			
				प्रतिनियुक्तिधारियों से वसूली			
				2. अनुज्ञप्ति फीस			
				3. आयकर			
				4. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम			
				5. डाक जीवन बीमा			
				6. सी.जी.ई.जी.आई.एस./सी.जी. ई. आई. एस.			
				(ii) गैर आवर्ती			
				(क) अन्य स्थापना प्रभार			
				1. भूमि			
				2. भवन			
				3. फर्नीचर और फिक्सचर			
				4. मशीनरी और उपस्कर			
				5. मोटर यान			
				6. प्रकाशन			
				(ख) निक्षेप			
				1. प्रतिभूति निक्षेप			
				2. पूर्वधन निक्षेप			
				(ग) अंतिम नकद			
				अतिशेष			
				हाथ में नकदी			
				बैंक में नकदी			
कुल							

पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग

31 मार्च, 19—— में समाप्त अवधि के लिए भविष्य निधि और समूह बीमा स्कीमों आदि की प्राप्ति और संदाय लेखा

प्राप्तियां	रकम	संदाय	रकम
अ. साधारण भविष्य निधि		**अ. साधारण भविष्य निधि**	
(क) आरंभिक अतिशेष		(क) अग्रिम/निकासी/अंतिम संदाय	
(ख) अभिदान		(ख) अतिशेष का विनिधान	
(ग) अग्रिम की वसूली		(ग) अंतिम अतिशेष-बैंक पर नकदी	
(घ) ब्याज			

प्राप्तियां	रकम	संदाय	रकम
आ. समूह बीमा स्कीम		**आ. समूह बीमा स्कीम**	
(क) आरम्भिक अतिशेष		(क) बीमा रक्षण के लिए संदाय	
(ख) बीमा निधि		(ख) बचत निधि का संदाय	
(ग) बचत निधि		(ग) विनिधान	
		(घ) अंतिम अतिशेष बैंक पर नकदी	
कुल			

सदस्य-सचिव

पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के लेखे

व्यय	योजना	गैर-योजना	कुल व्यय	आय	योजना	गैर-योजना	कुल रकम
झ. आवर्ती							
(क) स्थापना प्रभार							
1. वेतन आयोग का अध्यक्ष और सदस्य							
2. वेतन आयोग का अधिकारी और स्थापना							
3. वृत्तिक और विशेष सेवाओं के लिए संदाय							
4. यात्रा व्यय							
(ख) अन्य स्थापना प्रभार							
1. मजदूरी							
2. कार्यालय व्यय							
3. किराया, दर और कर							
4. विज्ञापन और प्रचार							
5. आतिथ्य व्यय							
6. प्रकाशन							
7. मरम्मत और अनुरक्षण				झ. योजना			
8. फर्नीचर और फिक्सचर की मरम्मत				अ. कल्याण मंत्रालय से सहायता अनुदान द्वारा			
9. मशीनरी और उपस्कर की मरम्मत				घटाएं—पूंजीकृत सहायता अनुदान की रकम			
				आ. ब्याज के खाते पर प्राप्ति			
				(i) विनिधान पर ब्याज			
				(ii) बैंक खाते पर ब्याज और लघु अवधि निक्षेप			
				ई. अन्य प्राप्तियां			
				(i) प्रकीर्ण प्राप्तियां			
				(ii) फीस यदि कोई हो, आयोग द्वारा प्रभारित			
				(iii) प्रकाशनों का विक्रय			
				(iv) कर्मचारियों को अग्रिम से ब्याज की प्राप्तियां			

व्यय	योजना	गैर-योजना	कुल व्यय	आय	योजना	गैर-योजना	कुल रकम
9. (अ) यानों का अनुरक्षण							
10. पेट्रोल तेल और स्नेहक							
11. सभा और सेमिनार							
12. टेलीफोन प्रभार							
13. अन्य प्रभार							
14. विधिक प्रभार							
15. लेखा परीक्षा फीस							
(ग) भविष्य निधि और अन्य अंशदान							
1. पेंशन और उपदान (पेंशन और एल.एस.पी.जी. का सारांशीकृत मूल्य सम्मिलित है)				आय पर व्यय की अधिकता			
2. सी.पी.एफ. को अंशदान							
3. बीमा स्कीम से सम्बद्ध निक्षेप							
4. सी.पी.एफ. पर ब्याज							
5. जी.पी.एफ. पर ब्याज							
6. समूह बीमा स्कीम							
(क) बीमा निधि							
(ख) बचत निधि							
(घ) अन्य संगठनों को सहायता							
1. विशेष अध्ययन और मुकदमें बाजी पर व्यय							
2. प्रोन्नत्यात्मक और शैक्षिक अनुसंधान							
3. व्यय पर आय की अधिकता							
कुल							

पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग

31 मार्च को तुलनपत्र

दायित्व	रकम	आस्तियां	रकम
पूंजी आस्ति निधि	अनुसूची 1	स्थिर आस्तियां	अनुसूची-अ
		विनिधान	अनुसूची-आ
व्यय पर	अनुसूची 2	आकस्मिक अग्रिम और (अन्य ऋण)	अनुसूची-इ
आय की अधिकता			अनुसूची-ई
चालू दायित्व और उपबंध		प्रतिभूति/अग्रिम	
प्रेषण	अनुसूची 3	जमा धन	अनुसूची-उ
भविष्य निधि इत्यादि	अनुसूची 4	भविष्य निधि इत्यादि	अनुसूची-ऊ
विविध लेनदार और अन्य दायित्व	अनुसूची 5	विविध देनदार	
		अंतिम अतिशेष	
		हाथ में नकदी	
		बैंक में नकदी	
कुल			

सदस्य-सचिव

पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग
अनुसूची 1— पूंजी आस्ति निधि

क्रम संख्या	वर्णन	आरंभिक अतिशेष	परिवर्धन	बट्टे खाते में डाली गई रकम	अंत अतिशेष
1.	भूमि				
2.	भवन				
3.	फर्नीचर और फिक्सचर				
4.	मशीनरी और उपस्कर				
5.	यान				
6.	प्रकाशन				
7.	उपहार/दान दी गई आस्तियां				
8.	अन्य				
	कुल				

सदस्य-सचिव

पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग
अनुसूची 2— व्यय पर आय की अधिकता

	क्रम सं.	वर्णन	रकम
1.	अंतिम तुलन पत्र के अनुसार—अतिशेष		
2.	व्यय पर आय की अधिकता		
3.	अन्य		
	कुल		

सदस्य-सचिव

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
अनुसूची 3—विप्रेषण

क्रम सं.	विवरण	आदि अतिशेष	परिवर्धन	विप्रेषित रकम	अंत अतिशेष
1.	साधारण भविष्य निधि इत्यादि, प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारिवृन्द से वसूली				
2.	अनुज्ञप्ति फीस				
3.	आय-कर				
4.	केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम				
5.	डाक जीवन बीमा				
6.	केंद्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा स्कीम				
7.	अन्य				
	योग				

सदस्य-सचिव

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुसूची 4—भविष्य निधि, इत्यादि

क्रम सं.	विवरण	रकम
अ.	**साधारण भविष्य निधि**	
1.	आदि अतिशेष	
2.	अभिदान	
3.	अग्रिम की वसूली	
4.	ब्याज	
	घटाइए : अग्रिम/अंतिम भुगतान/विनिधान	
		उप-योग :
आ.	**समूह बीमा स्कीम**	
	(क) बचत निधि	
	1. आदि अतिशेष	
	2. अंशदान	
	3. ब्याज	
	घटाइए : भुगतान/विनिधान	
		उप-योग :
	(ख) बीमा निधि	
	1. आदि अतिशेष	
	2. अभिदान	
	3. ब्याज	
	घटाइए : भुगतान/विनिधान	
		उप-योग :
	कुल योग :	

सदस्य-सचिव

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुसूची 5—विविध लेनदार/अन्य दायित्व

क्रम सं.	विवरण	आदि अतिशेष	परिवर्धन	प्रति संदाय	कुल रकम
1.	प्रतिभूति जमा				
2.	अग्रिम धन जमा				
3.	विविध लेनदार				
4.	अन्य दायित्व				
	योग :				

सदस्य-सचिव

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुसूची अ—आस्ति निधि

नियत/पूंजी आस्ति निधि

क्रम सं.	विवरण	आदि अतिशेष	परिवर्धन	बट्टे खाते में डाली गई रकम	अंत अतिशेष
1.	भूमि				
2.	भवन				

क्रम सं.	विवरण	आदि अतिशेष	परिबर्धन	बट्टे खाते में डाली गई रकम	अंत अतिशेष
3.	फर्नीचर और फिक्सचर				
4.	मशीनरी और उपस्कर				
5.	यान				
6.	प्रकाशन				
7.	उपहार/दान की गई आस्तियां				
8.	अन्य				
	योग :				

सदस्य-सचिव

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
अनुसूची आ—विनिधान

क्रम सं.	विवरण	रकम
1.	बैंकों में नियत जमा	
	(क) आदि अतिशेष	
	(ख) किया गया विनिधान	
	(ग) भुनाया गया विनिधान	
	(घ) अंत अतिशेष	

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
अनुसूची इ—आकस्मिक और अन्य अग्रिम

क्रम सं.	विवरण	आदि अतिशेष	परिबर्धन	वसूलियां	अतिशेष	रकम
1	2	3	4	5	6	
अ.	**आकस्मिक अग्रिम**					
	(क) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को अग्रिम					
	(ख) महानिदेशक पूर्ति और निपटान को अग्रिम					
	(ग) प्रदायकर्ताओं को अग्रिम					
आ.	**कर्मचारियों को अग्रिम**					
	(क) गृह निर्माण अग्रिम					
	(ख) मोटर कार अग्रिम					
	(ग) मोटर कार/स्कूटर अग्रिम					
	(घ) अन्य अग्रिम					
इ.	**अन्य अग्रिम**					
	योग :					

सदस्य-सचिव

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुसूची ई—प्रतिभूति/अग्रिम धन जमा

क्रम सं.	विवरण	आदि अतिशेष	परिबर्धन	प्रति संदत्त	अंत अतिशेष
1	2	3	4	5	6
1.	प्रतिभूति जमा				
2.	अग्रिम धन जमा				
	योग :				

सदस्य-सचिव

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुसूची उ—भविष्य निधि, इत्यादि

क्रम सं.	विवरण	रकम
1	2	3
अ.	**साधारण भविष्य निधि**	
	आदि अतिशेष	
	जोड़िए : वर्ष के दौरान किया गया विनिधान	
	घटाइए : भुनाया गया विनिधान	
	रोकड़ में अतिशेष रकम	
आ.	**समूह बीमा स्कीम**	
	(i) बचत निधि	
	आदि अतिशेष	
	जोड़िए : वर्ष के दौरान किया गया विनिधान	
	घटाइए : भुनाया गया विनिधान	
	रोकड़ में अतिशेष रकम	
	(ii) बीमा निधि	
	आदि अतिशेष	
	जोड़िए : वर्ष के दौरान किया गया विनिधान	
	घटाइए : भुनाया गया विनिधान	
	रोकड़ में अतिशेष रकम	

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुसूची ऊ—विविध देनदार

क्रम सं.	विवरण	आदि अतिशेष	परिबर्धन	समायोजन	अंत अतिशेष
1	2	3	4	5	6
अ.					
आ.					
इ.					
ई.					
	योग :				

सदस्य-सचिव

प्ररूप "आ"

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की वार्षिक रिपोर्ट

[कृपया नियम 4(1) देखिए]

वित्तीय वर्ष अप्रैल, 19——से 19——की वार्षिक रिपोर्ट

1. द्वारा पुरः स्थापित
2. आयोग का गठन जिसमें परिवर्तन भी सम्मिलित है
3. आयोग की बैठकें ।
4. सूचियों में पिछड़ा वर्ग के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग के सम्मिलित होने के अनुरोध की जांच की बाबत संक्षिप्त रिपोर्ट और ऐसी सूचियों में किन्हीं पिछड़े वर्गों के अधिक सम्मिलित किए जाने या कम सम्मिलित किए जाने के संबंध में शिकायतें सुनना तथा केंद्रीय सरकार को, जो वह समुचित समझे, सलाह देना ।

[फा.सं. 12011/62/93-बी.सी.सी.]

डॉ. एम.एस.अहमद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 1996

G.S.R. 384 (E).—In exercise of the powers conferred by section 17 of the National Commission for Backward Classes Act, 1993 (27 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the National Commission for Backward Classes (Annual Statement of Accounts and Annual Report) Rules, 1996.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions—In these rules, unless the context otherwise requires:—

(a) 'Act' means the National Commission for Backward Classes Act, 1993 (27 of 1993).

(b) 'Chairperson' means the Chairperson of the Commission nominated by the Central Government under clause (a) of sub-section (3) of section (2) of the Act.

(c) 'Member-Secretary', means the Member-Secretary nominated by the Central Government under clause (d) of sub-section (2) of section (3) of the Act.

(d) 'Audit Officer' means the Comptroller and Auditor General of India or any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Commission;

(e) 'Financial Year' means the year begining on the Ist April and ending on 31st March following;

(f) 'Form' means Form annexed to these rules;

(g) The Words and expressions used in these rules but not defined herein shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Accounts of the Commission—(1) The annual statement of accounts of the Commission for every financial year shall be prepared by the Member-Secretary or such officer of the Commission as may be authorized by the Member-Secretary in this behalf.

(2) The annual statement of Accounts duly approved by the Commission shall be submitted by the Member-Secretary to the Central Governmnet by such date as may be specified by the Central Government.

(3) The Commission shall forward to the Central Government quarterly reviews of the progress of the expenditure incurred and the expenditure likely to be incurred during the remaining part of financial year as and when called for by the Central Government.

(4) The Commission shall also furnish annually the Utilisation Certificate certifying that the grant has been utilised as per the terms and conditions.

(5) The Member-Secretary shall supervise the maintenance of the accounts of the Commission, the compilation of the financial statements and returns and shall ensure that all accounts, books connected vouchers and other documents and papers of the Commission required by the Audit Officer for the purpose of auditing the accounts of the Commission are placed at the disposal of that officer.

(6) The accounts of the Commission including initial accounts with effect from the date of its Constitution shall be maintained in Form 'A' annexed to these rules.

(7) The Annual Statement of accounts referred to in sub-section (1) of Section 13 of the Act shall be signed and authenticated by the Member-Secretary.

(8) The annual statement of accounts shall be submitted to the Audit Officer on or before 30th June, following the year to which the accounts relate and the Audit Officer shall audit the accounts of the Commission and report thereon.

(9) On receipt of the audit report, the Commission shall within three months remedy and defect or irregularly pointed out therein and report to the Central Government and to the Audit officer about the action taken by it thereon.

4. Annual report of the Commission—(1) The Member-Secretary any other officer of the Commission duly authorized by the Member-Secretary in this behalf shall prepare in Form 'B' annexed to these rules the Annual Report referred to in section 14 of the Act on or before the 31st day of July following the financial year to which the report relates.

(2) The Annual Report referred to in sub-rule (1) shall be placed before the Commission for approval.

(3) The annual report referred to in sub-rule (1) after approval by the Commission shall be signed and authenticated by the Member-Secretary.

(4) Copies of the authenticated report shall be submitted by the Member-Secretary or such officer of the Commission, as may be authorized by the Member-Secretary in this behalf, to the Central Government, by the 31st August, following the year to which the annual report relates, to enable the Central Government to take action as required, under section 15 of the Act.

FORM-A

ACCOUNTS OF THE COMMISSION

[See Rule 3 (b)]

Receipt and Payment Account of the National Commission for Backward Classes for the year ending 31st March

Receipts	Plan	Non-Plan	Total Amount	**Payments**	Plan	Non-Plan	Total Amount
1	2	3	4	5	6	7	8
1. OPENING BALANCE							
Cash in hand							
Cash at Bank							
2. Grant-in-aid From the Min. of Welfare				**Recurring Expenditure**			
				1. (a) Establishment Charges			
Recurring				1. Salaries (Chairperson &			
				Members of the Commission)			
Non-Recurring				2. Salaries (Officers & Establish-			
3. Revenue received by the Commission				ment).			
				3. Payment for Professional and			
Plan-Recurring				Special Services.			
(a) Investments				4. Travel Expenses.			
1. Each value or investments							
encashed.							
2. Interest on investments.							
3. Interest on Bank Account and short term Deposits.							
Total :							

Receipts	Plan	Non-Plan	Total Amount	Payament	Plan	Non-Plan	Total Amount
1	2	3	4	5	6	7	8
B/F				B/F			
(b) Revenue Receipts				**(b) Other Establishsment Charges**			
1. Miscellaneous Receipts.				(1) Wages			
2. Fees if any, charged by the Commission.				(2) Office Expenses.			
3. Sale of Publications.				(3) Rent Rates & Taxes.			
4. Interest Receipts for Advances to Employees.				(4) Publications.			
(c) Debt/Deposit Receipts				(5) Advertisement and publicity.			
(i) Recovery of Advances to Staff				(6) Hospitility Expenses.			
House Building Advance				(7) Repairs/Maintenance.			
Motor Car Advance.				(8) Furniture and Fixtures.			
Motor Car/Scooter Advance.				(9) Machinery & equipment.			
Other Advances.				(10) Motor Vehicles.			
(ii) Recovery of Contigent Advances				(11) Maintenance of Vehicles.			
Advances to CPWD.				(12) Petrol, Oil and Lubricants.			
Advances to DGS & D.				(13) Conference & seminars.			
Advances to Suppliers.				(14) Telephone Charges.			
Other Advances.				(15) Other Charges.			
				(16) Litigation.			
				(17) Audit Fee.			
Total :							
(iii) Other Deposits				**(c) Provident Fund & Other Contributions**			
Security Deposit.				(1) Pensions & Gratuities (including commutation of pension & LSPC)			
Earnest Money Deposit							
Remittance Receipts							
GPF/CPF etc. recoveries from Deputationists.				(2) Deposit Linked Insurance Scheme			
Licence Fee.				(3) Interest on GPF			
Income Tax				(4) GPF Advance/Final payment.			
Central Govt. Health Scheme.				(5) CGESIS/CGEIS.			
				(d) Grant in-aid to Other organisations.			
Postal Life Insurance.				Expenditure in Litigations and Special Studies.			
Central Govt. Employees Group Insurance Scheme.				Promotional and Educational Research.			
Non-recurring.				**(e) Investments**			
				Investments. (details to be shown in Schedule)			
				(f) Contingent Advance			
				Advance to CPWD.			
				Advance to DGS & D.			
				Advance to Suppliers.			
				Other advances.			
				(g) Advances to Staff			
				1. House Building Advance			
				2. Motor car Advance.			
				3. Motor Car/Scooter Advance.			
				4. Other Advance.			

Receipts	Plan	Non-Plan	Total Amount	Payment	Plan	Non-Plan	Total Amount
1	2	3	4	5	6	7	8
B/F							
				(h) Other Adjustments (Remitances)			
				1. GPF/CPF etc. recoveries from Deputationists.			
				2. Licence Fee.			
				3. Income Tax.			
				4. Central Govt. Health Scheme.			
				5. Postal Life Insurance.			
				6. CGEGIS/CGEIS.			
				(ii) Non-recurring			
				(a) Other Establishment Charges			
				1. Land			
				2. Buildings.			
				3. Furniture & Fixtures.			
				4. Machinary & Equipment.			
				5. Motor Vehicles.			
				6. Publications.			
				(b) Deposits			
				1. Security Deposit.			
				2. Earnest Money Deposit.			
				(c) Closing Cash Balance			
				1. Cash in hand.			
				2. Cash at Bank.			
Total :							

NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT—PROVIDENT FUND & GROUP INSURANCE SCHEMES ETC.
FOR THE PERIOD ENDING 31ST MARCH 19——

Receipts	Amount	Payments	Amount
1	2	3	4
A. General Provident Fund		**A. General Provident Fund**	
(a) Opening Balance		(a) Advance/withdrawal/final Payment	
(b) Subscription		(b) Investment of Balance	
(c) Recovery of Advance		(c) Closing Balance—Cash at Bank	
(d) Interest			
B. Group Insurance Scheme		**B. Group Insurance Scheme**	
(a) Opening Balance		(a) Payment for Insurance cover	
(b) Insurance Fund		(b) Payment of savings fund	
(c) Saving Fund		(c) Investments	
		(d) Closing Balance—Cash at Bank	
Total :			

Member-Secretary

NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 19————

Expenditure	Plan	Non-Plan	Total Amount	Income	Plan	Non-Plan	Total Amount
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Recurring				**I. Plan**			
(a) Establishment Charges				**A. By Grant-in-aid from Min. of Welfare**			
1. Salaries (Chairperson and Members of the Commission							
2. Salaries (Officers and Establishment).				Less : Amount of Grant-in-aid Capitalised.			
3. Payment for Professional and Special Services.				**B. Receipt on account of Interest**			
4. Travel Expenses.				(i) Interest on Investment.			
				(ii) Interest on bank account and short term deposits.			
(b) Other Establishment Charges				**C. Other Receipts**			
1. Wages				(i) Miscellaneous Receipts.			
2. Office Expenses.				(ii) Fees, if any, charged by the Commission.			
3. Rent, Rates and Taxes.				(iii) Sale of Publications.			
4. Advertisement & Publicity.				(iv) Interest Receipts from Advances to Employees.			
5. Hospility Expenses.							
6. Publications.							
7. Repairs & Maintenance.							
8. Repair of Furniture & Fixtures.							
9. Repair of Machinery and equipment.							
Total :							
9. Maintenance of Vehicles.							
10. Petrol, Oil and Lubricants.							
11. Conference and Seminars.							
12. Telephone Charges.							
13. Other Charges.							
14. Legal Charges.							
15. Audit Fee.							
(c) Provident Fund & Other Contributions							
1. Pensions & Gratuities (including commuted value of pension & LSPC).							
2. Contribution to CPF.							
3. Deposit Linked Insurance Scheme.							
4. Interest on CPF.							
5. Interest on GPF.							
6. Group Insurance Scheme.							
(a) Insurance Fund							
(b) Savings Fund.							
(d) Assistance to other Orgns.							
Special Studies and Expenditure on Litigation.							
Promotional & Educational Research.							
Excess of Income over Expenditure.				Excess of Expenditure over Income.			
Total :							

NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH

Liabilities		Amount	Assets		Amount
Capital Asset Fund	Schedule 1		Fixed Assets	Schedule A	
Excess of Income over expenditure	Schedule 2		Investments	Schedule B	
Current Liabilities & Provisions			Contingent Advances		
Remittances	Schedule 3		and (Other Loans)	Schedule C	
Provident Funds etc.	Schedule 4		Security/Earnest money Deposit	Schedule D	
Sundry creditors and other Liabilities	Schedule 5		Provident Fund etc.	Schedule E	
			Sundry Debitors	Schedule F	
			Closing Balance		
			Cash in hand		
			Cash at Bank		
Total :					

Member-Secretary

NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES
SCHEDULE 1—CAPITAL ASSET FUND

S.No.	Description	Opening Balance	Additions	Amount written Off	Closing Balance
1.	Land				
2.	Buildings				
3.	Furniture & Fixtures				
4.	Machinery & Equipment				
5.	Vehicles				
6.	Publications				
7.	Gifted/Donated Assets				
8.	Others				
	Total :				

Member-Secretary

NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES
SCHEDULE 2—EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE

S.No.	Description	Amount
1.	Balance as per last Balance Sheet	
2.	Excess of Income over Expenditure	
3.	Others	
	Total :	

Member-Secretary

NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES
SCHEDULE 3—REMITTANCES

S.No.	Description	Opening Balance	Additions	Amounts Remitted	Closing Balance
1.	General Provident Fund etc. recovery of staff on deputation				
2.	Licence Fee				
3.	Income Tax				
4.	Central Govt. Health Scheme				
5.	Postal Life Insurance				
6.	Central Govt. Employees Group Insurance Scheme				
7.	Others				
	Total :				

Member-Secretary

SCHEDULE 4—PROVIDENT FUND ETC.

S.No.	Description		Amount
A.	**General Provident Fund**		
1.	Opening Balance		
2.	Subscription		
3.	Recovery of Advance		
4.	Interest		
	Less : Advance/Final payment/Investments		
		Sub Total :	
B.	**Group Insurance Scheme**		
	(a) Saving Fund		
1.	Opening Balance		
2.	Subscription		
3.	Interest		
	Less : Payment/Investments		
		Sub Total :	
(b)	**Insurance Fund**		
1.	Opening Balance		
2.	Subscription		
3.	Interest		
	Less : Payment/Investments		
		Sub Total :	
	Grand Total :		

Member-Secretary

NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES
SCHEDULE 5—SUNDRY CREDITORS/OTHER LIABILITIES

S.No.	Description	Opening Balance	Additions	Repayments	Total Amount
1.	Security Deposit				
2.	Earnest Money Deposit				
3.	Sundry Creditors				
4.	Other Liabilities				
	Total :				

Member-Secretary

NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES
SCHEDULE A—ASSET FUND

(FIXED/CAPITAL ASSET FUND)

S.No.	Descriptions	Opening Balance	Additions	Amount Written Off	Closing Balance
1.	Land				
2.	Buildings				
3.	Furniture & Fixture				
4.	Machinery & Equipment				
5.	Vehicles				
6.	Publications				
7.	Gifted/Donated Assets				
8.	Others				
	Total :				

Member-Secretary

NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES
SCHEDULE B—INVESTMENTS

S.No.	Details	Amount
1.	Fixed Deposits with Bank (s)	
	(a) Opening Balance	
	(b) Investments made	
	(c) Investments Encashed	
	(d) Closing Balance	

NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES
SCHEDULE C—CONTINGENT & OTHER ADVANCES

S.No.	Description	Opening Balance	Additions	Recoveries	Balance Amount
A.	**Contingent Advance**				
	(a) Advances to CPWD				
	(b) Advances to DGS&D				
	(c) Advances to Suppliers				
B.	**Advances to Employees**				
	(a) House Building Advances				
	(b) Motor Car Advance				
	(c) Motor Car/Scooter Advance				
	(d) Other Advances				
C.	**Other Advances**				
	Total :				

Member-Secretary

NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES
SCHEDULE D—SECURITY/EARNEST MONEY DEPOSIT

S.No.	Description	Opening Balance	Additions	Repaid	Closing Balance
1.	Security Deposit				
2.	Earnest Money Deposit				
	Total :				

Member-Secretary

NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES
SCHEDULE E—PROVIDENT FUND ETC.

S.No.	Description	Amount
1.	**General Provident Fund**	
	Opening Balance	
	Add : Investment made during the year	
	Less : Investments encashed	
	Amount of Balance in cash	
2.	**Group Insurance Scheme**	
	(i) Saving Fund	
	Opening Balance	
	Add : Investments made during year	
	Less : Investment encashed	
	Amount of Balance in cash	
	(ii) Insurance Fund	
	Opening Balance	
	Add : investments made during the year	
	Less : Investments encashed	
	Amount of Balance in cash	

NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES
SCHEDULE F—SUNDRY DEBTORS

S.No.	Description	Opening Balance	Additions	Adjustments	Closing Balance
A.					
B.					
C.					
D.					
	Total :				

Member-Secretary

FORM 'B'

ANNUAL REPORT OF NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES

[See Rule—4(1)]

Annual Report for the Financial Year

April 19———— 19————

1. Introduced by
2. Constitution of Commission including changes therein.
3. Meetings of the Commission.
4. Brief report with regard to examination of requests for inclusion of any class of citizens as a Backward Class in the lists and hear complaints of over-inclusion or under-inclusion of any Backward Classs in such lists and tender such advice to the Central Government as deemed appropriate.

[F.No. 12011/62/93-BCC]
Dr. M.S. AHMAD, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996